

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

विपक्षी रामचन्द्र विपक्षी रवेभराज
 पत्रावली संख्या 212 प्रा. पत्र पत्रावली संख्या 250/10 सन _____

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p><u>8/5/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकाल प्रार्थना/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग (कोरोना) में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>12/6/20</u> को पेश ह</p>	
<p><u>12/6/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>16/7/20</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>10/7/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>14/8/20</u> को पेश हो।</p>	कोरोना
<p><u>14/8/20</u> आज दिनांक की कार एकांशिन मावली में कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक <u>16/10/20</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>16/10/20</u> पत्रावली पेश हुई। अधि. उच्च पक्षकारान उप.। शा. पत्र 01R10 पर बहस सुनी गई। पत्रावली वारते आदेश दिनांक <u>3/11/20</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>3/11/20</u> पत्रावली पेश हुई। व्यस्तता के कारण आदेश लिखवाया नहीं जा सका। पत्रावली में उच्च पक्षकारान की मजबूत बहस सुनी गई। पत्रावली वारते आदेश दिनांक <u>20/11/20</u> को पेश हो।</p>	



20/11/20

पत्रावली पेश हुई। अधि उभय पत्रावली
उप। शा पत्र 02 R10 C.P.C की बहस पर मज
सिमा। मूल वाद में शा पत्र 02 R10 C.P.C
स्वीकार किया जा चुका है। अतः इस पत्रावली
में भी शा पत्र 02 R10 C.P.C व्यापक में
स्वीकार किया जाकर श्रीमती उषा भावानी
को बतौर विपक्षी प्रकरण में पक्षकार बनाये
जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी संबोधित
शीघ्र पेश करे। विपक्षी को नोटिस जारी
किया जाकर। पत्रावली दिनांक 11/12/20 को
पेश हो

[Signature]

11/12/20

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रैसपो उपस्थित/पीठारीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक.....12/12/21.....को पेश हो

12/12/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रैसपो उपस्थित/पीठारीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक.....5/3/21.....को पेश हो

19/2/21

पत्रावली मजिस्ट्रेट, प्रार्थी मजिस्ट्रेट
द्वारा तल शीघ्र विपक्षी प्रार्थी, पत्र पेश करने पर तल शीघ्र
प्रार्थी की पक्षान उतरे मजिस्ट्रेट, द्वा शीघ्र मजि
प्रार्थी उठाव में शीघ्र मजिस्ट्रेट, शीघ्र मजिस्ट्रेट
शीघ्र किया जा-उठा है। अतः प्रार्थी शीघ्र प्रार्थी
की बचाव में 8 उठाव, शीघ्र मजिस्ट्रेट शीघ्र
किया जाता है। पत्रावली फौजदारी मुकद, शीघ्र
नवंबर से 8 म है। विपक्षी मजिस्ट्रेट

[Handwritten signature]
21/12/20



[Signature]
सहायक कलक्टर
(S.D.O) मावली